

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2015/754

दिनांक:- [5/10/15]

आदेश

चुरु आवासीय योजना, आवासीय अभियन्ता खण्ड-झुंझुनू के अधीन निर्मित आवासों को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय के प्रस्तावानुसार खुली बिक्री योजना के माध्यम से निस्तारण किये जाने की स्वीकृति निर्देशानुसार एतद्वारा प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क.सं.	कुल संख्या	आय वर्ग	आवास नं.
1.	01	घरौंदा	5/105
2.	11	मध्यम आय वर्ग-अ	1/70, 3/115, 3/116, 3/117, 3/118, 3/119, 3/122, 3/123, 3/124, 4/7, 4/8
3.	05	मध्यम आय वर्ग-ब	1/46, 2/98, 2/103, 2/106, 2/107
4.	04	उच्च आय वर्ग	1/5, 1/7, 1/9, 4/106

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, जयपुर पर खुली बिक्री योजना से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है, उक्त आवासों के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य आवास पर खुली बिक्री योजना हेतु रिक्त नहीं है एवं उक्त आवासों का निस्तारण प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे तथा आवासों का निस्तारण पर खुली बिक्री योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती है। यह पुर्णतया सुनिश्चित किया जावे।

उक्त आदेशों को नोट शीट पैरा 78-79/एन पर अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महादेव का अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-तृतीय/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, रा0 आ0 मा0, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय, रा0आ0म0 जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड झुंझुनू, रा0आ0म0 झुंझुनू।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0ए जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक